प्रेमशंकर दिवाकर बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2021/195

03.08.2023	न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली 2016/00330 बउनवान श्रीमती गोविन्द कंवर बनाम सरकार दिनांक 14.09.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी। जिसके पश्चात् दिनांक 05.01.2022 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 05.01.2022 को सहायक कलक्टर कोटा को भिजवा दी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि उक्त अपील की पत्रावली मिस्प्लैस हो गयी जो काफी तलाशने के बाद भी नहीं मिल पायी। अपील में अपीलांट को उपस्थित होने से मना कर दिया था किन्तु जब दिनांक 18.10.2021 को वह अपील की प्रगति के बारे में पूछने आया तो माननीय न्यायालय की वाद सूची देखने पर पता चला कि अपील न्यायालय हाजा द्वारा खारिज फरमा दी गयी है, इसलिए उसी दिन आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जिससे वास्तविकता का पता चला। अपीलांट न्याय प्राप्ति से वंचित हो जाएगा। इसलिए न्याय प्राप्ति की दृष्टि से उक्त अपील के गुणावगुण पर निर्णित करने की दृष्टि से अपील को सुनवाई हेतु रेस्टोर किया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य न करते हुए खारिज फरमाया जाकर तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली व अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का आधोपान्त अवलोकन किया। प्रश्नगत पत्रावली को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.09.2021 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने के लगभग 01 माह 11 दिन बाद अधिवक्ता अपीलांट ने दिनांक 25.10.2021 को प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया था। प्रार्थी का कथन सद्भावी प्रतीत होता है। हम न्यायहित में 200/– रूपये की कोस्ट पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 200/– रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा